भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4037

(जिसका उत्तर मंगलवार, 03 अप्रैल, 2018 को दिया गया)

बहु-राष्ट्रीय लेखाकरण फर्मों द्वारा आचार-संहिता का उल्लंघन

4037. श्री नारायण दास गुप्ताः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2013 की रिट याचिका संख्या 991 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मद्देनज़र, बहु-राष्ट्रीय लेखाकरण फर्मों (एमएनएएफ) द्वारा गैर-सदस्यों के साथ शुल्क में साझेदारी करने तथा अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड नाम से व्यावसायिक कार्य मांगने के रूप में आचार-संहिता के उल्लंघन के लिए दंडित किए जाने हेतु भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुसार आईसीएआई द्वारा 171 बहु-राष्ट्रीय लेखाकरण फर्मों के विरुद्ध आचार-संहिता के उल्लंघन के लिए कोई कार्रवाई की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) और (ख): भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने बताया है कि इसके अनुशासनिक निदेशालय ने चार्टर्ड अकाउंटेंट (व्यवसायिक और अन्य कदाचार की जांच की प्रक्रिया तथा मामलों का संचालन) नियम, 2007 के नियम 7 के संदर्भ में फीस की शेयरिंग, उनकी अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन के ब्रांड नाम का प्रयोग बहुराष्ट्रीय लेखांकन फर्मों (एमएएफ) के साथ करने आदि के मुद्दों पर भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों द्वारा नीति संहिता के उल्लंघन के आरोपों की जांच शुरू की है।

*****